



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 134

1 Falgun, 1939 (S)

Ranchi, Tuesday, 20th February, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

20th February, 2018

Notification No. -- 8/2018 – State Tax

S.O. No- 14 Dated - 20th February, 2018 -- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. S.O 137-State Tax, dated the 14th November, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in **FORM GSTR-6** under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, for the months of July, 2017 to February, 2018, till the 31st day of March, 2018.

2. This notification shall be deemed to be effective from 23rd January, 2018.

[File.NoVaKar / GST / 03/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand ,

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 फरवरी, 2018

अधिसूचना सं०. 8/2018- राज्य कर

एस. ओ. - 14 दिनांक- 20 फरवरी, 2018-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) 168 की धारा) की उपधारा 39 के साथ पठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और झारखण्ड (के राजपत्र में तारीख 14 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. एस. ओ. 137 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है क्रान्त अधि , करते हुए किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा झारखण्डमाल और सेवा कर नियम 65 के नियम 2017के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा के अधीन 39 प्रारूप जीएसटी आर-6 में जुलाई, 2017 , , फरवरी 2018 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा का 31 मार्च, 2018 का विस्तार करता है ।

(2) यह अधिसूचना 23 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/03/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।